



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:20920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दांडिक प्रकी., अग्रिम जमानत आवेदन सं. 385 वर्ष 2026,

अं/धा 482 भा.ना.सु.सं.

इन्द्रदेव तिवारी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आलोक पांडेय

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा. अ.

न्यायालय सं. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और प्रत्युत्तरदाता-राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रस्तुत आवेदन आवेदक द्वारा, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504, 506, भा.दं.सं. के अधीन वाद अपराध सं.088 वर्ष 2024, पुलिस थाना रामगंज, जिला अमेठी में, अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

उपर्युक्त वाद 16.08.2024 को, धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अधीन, यह कथन करते हुए कि अभियुक्त व्यक्तियों ने परिवादी को ज्ञात अनेक व्यक्तियों को सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल में उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा दिया था, एक आवेदन के अनुसरण में दस व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई एक प्र.सू.रि.के आधार पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। प्र.सू.रि.में आरोप है कि ₹ 48,93,000/- देव ट्रेडर्स, रोहित कुमार और वर्तमान आवेदक के बैंक खातों में अंतरित किए गए थे; ₹ 22,00,000/- अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा परिवादी से और उसके परिचितों से नकद लिए गए थे; और कि राहुल मिश्रा और वरुण कुमार मिश्रा उर्फ वरुण मिश्रा ने बैंक अंतरण के माध्यम से ₹ 28,90,000/- लिए थे, और ₹ 1,25,000/- नकद भी लिए थे। मांग किए जाने पर अभियुक्त व्यक्तियों ने राशि वापस करने से इन्कार कर दिया था।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने अग्रिम जमानत आवेदन के पैरा 21 में तीन मामलों के आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया है। अग्रेतर निवेदित किया गया है कि सह-अभियुक्त वरुण कुमार मिश्रा

उर्फ वरुण मिश्रा को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा, दांडिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदन सं. 1844 वर्ष 2025, अं./धा. 482, भा.ना.सु.सं. में पारित आदेश दिनांक 3.12.2025 के मध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

विद्वान् अ.शा.अ. ने जमानत की प्रार्थना जोरदार विरोध किया है और निवेदित किया है कि आवेदक एवं अन्य अभियुक्त व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को ठगने में सम्मिलित थे और यह कि अन्वेषण अभी चल रहा है।

वाद के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि प्र.सू.रि. में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अनेक व्यक्तियों को ठगा है, फिर भी अभिकथित पीड़ितों में से कोई भी कोई आरोप लगाने के लिए सामने नहीं आया है; सूचनादाता ने उसके द्वारा भुगतान की गई निश्चित राशि स्पष्ट नहीं की है; आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में सम्यक् रूप से स्पष्टीकरण दिया है, और मामले के गुणावगुण पर विचार किए बिना, मेरा विचार है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक मामला स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त हैं।

उपर्युक्त की दृष्टि से, यह अग्रिम जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक- **इंद्रदेव तिवारी** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित था.प्र./न्यायालय की संतुष्टि के अध्यक्षीन समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों पर और विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली किसी भी अन्य शर्त के अध्यक्षीन अग्रिम जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा:

(i) आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा, जैसा और जब अपेक्षित होगा, पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध करेगा;

(ii) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

(v) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा या या धमकी नहीं देगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मार्च 24, 2026

श्रवण

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”